संख्या- 606 /9-1-2016 25ई/94टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश,
पी0सी0एफ भवन, 32-स्टेशन रोड़,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी,2016

विषय- राज्य की पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचन कार्य हेतु जिले स्तर पर स्वीकृत अस्थायी पदों की निरंतरता के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-775/9-1-96-25ई/94, दिनांक 05 फरवरी, 1996 द्वारा निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति की तिथि से दिनांक 29 फरवरी, 1996 तक सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गी थी, जिसकी निरंतरता शासनादेश सं0-444/9-1-09-25ई/94, दिनांक 31 मई, 2010 तथा शासनादेश सं0-3271/9-1-12-25ई/94,दिनांक 10.01.2013 द्वारा दिनांक 28.02.2013 तक शासनादेश सं0-1665/9-1-13-25ई/94, दिनांक 31.03.2013 द्वारा दिनांक 28.02. 2014 तक शासनादेश सं0-1391/9-1-14-25ई/94, दिनांक 17.04.2014 द्वारा दिनांक 28. 02.2015 तक तथा शासनादेश सं0-1635/9-1-15 25ई/94टी0सी0 द्वारा दिनांक 29.02. 2016 तक बढ़ायी गयी थी :-

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0)
1	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	59	9300-34800ग्रेड वेतन रू0 4200/-
2	वरिष्ठ सहायक	118	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/-
3	कनिष्ठ सहायक	118	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000/-
4	चपरासी/चौकीदार	118	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1800/-
	कुल पद	413	

2. उक्त सृजित पदों की निरंतरता, शासनादेश दिनांक 05.02.1996 में निहित शर्तो के अधीन, वर्ष 2016-17 में दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक, यदि इसके पूर्व उक्त पद समाप्त न कर दिये जायें, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

ELG